

पत्रांक : ८० /रा.नि.आ.३/१६०/२०१३  
दिनांक ..... ५—६—२०१३

## राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

## राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

एच०बी०थपलियाल,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/  
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय)  
उत्तराखण्ड।

राज्य निर्वाचन आयोग: अनुभाग-३ : देहरादून

विषय:- नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-२०१३ में निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-८२७/रा०नि०आ०अनु०-२/६८/२००२ दिनांक 28 दिसम्बर, 2002 एवं पत्र संख्या-८९१/रा०नि०आ०अनु०-२/६८/२००२ दिनांक 07 जनवरी, 2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें निम्नानुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय पंजीकृत दलों की वरीयता प्रदान की गई है।

1.(क) राष्ट्रीय दलनिर्वाचन प्रतीक

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 1. | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी            | घडी                    |
| 2. | भारतीय जनता पार्टी                     | कमल                    |
| 3. | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस              | हाथ                    |
| 4. | बहुजन समाज पार्टी                      | हाथी                   |
| 5. | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) | हँसिया हथौडा और सितारा |

(ख) अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल

1. समाजवादी पार्टी
2. उत्तराखण्ड क्रान्ति दल

(ग) अनन्तिम/तात्कालिक रूप से सामयिक पंजीकृत राजनीतिक दल

1. उत्तराखण्ड लोक वाहिनी
2. शिव सेना
3. उत्तराखण्ड देव भूमि पार्टी(उदेभूपा)
4. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
5. गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट
6. विश्व विकास संघ

क्रमांक: ..... 2

7. जनता दल (सेक्यूलर)
  8. जवान-किसान मोर्चा
  9. सैनिक क्रान्ति दल
  10. अखिल भारतीय गोरखा मोर्चा पार्टी
  11. पर्वतीय नव निर्माण सेना
  12. ग्राम नगर विकास पार्टी
  13. देवभूमि पार्टी
  14. उत्तराखण्ड जन क्रान्ति दल
2. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करान है कि उत्तराखण्ड राज्य की नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले उक्त मान्यता प्राप्त, अमान्यता प्राप्त तथा ताल्कालिक या अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दल द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2001 संख्या-147/रा०नि०आ०/निर्वा०(68)/2001 दिनांक 24 अगस्त, 2001 (छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर-11, 12 एवं 13 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को उक्त आदेश के प्रस्तर-14 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। सम्प्रति निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने वाले परिशिष्ट-17 व 18 की प्रति उपरोक्त संबंधित दल को आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

  
(एच०बी०थपलियाल)

सचिव।

संख्या /रा०नि०आ०-३ /1410 /2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

  
(एच०बी०थपलियाल)

सचिव।



# ગુજરાતી ગણરાજ્ય ઉત્તરાંચલ

ઉત્તરાંચલ સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત

## અસાધારણ

દેહસાદૂન, શુક્રવાર, 24 અગસ્ત, 2001 ઈ ૦

ગાઢપદ ૦૨, ૧૯૨૩ શક રામ્યત

રાજ્ય નિવાચન આયોગ  
(પંચાંગત એવં સ્થાનીય નિકાય)

ઉત્તરાંચલ

ગાંધીનગર ૧૪૭ / રાખીઓ / નિવાચી (૬૩) / ૨૦૦૧

દેહસાદૂન, ૨૪ અગસ્ત, ૨૦૦૧

### આદેશ

ગાર્દ કા સંવિધાન કે ૭૪વે રંગોધન ઔર ઉત્તર પ્રદેશ સ્વાયત્ત શાસન (સંશોધન) અધિનિયમ, ૧૯૯૪ કે અન્તર્ગત રાજ્ય નિવાચન આયોગ (પંચાંગત એવં સ્થાનીય નિકાય), ઉત્તરાંચલ કો રાજ્ય કે નાગર નિકાયોની કો નિવાચન કે અધીક્ષણ, નિર્વિશ્વાસ ઔર નિયંત્રણ કા કાયદીનિયત કિયા ગયા હૈ। ઇન નિવાચનોની કો રાજ્યના નિકાયોની કો પંજીકરણ કિયા જાયે તથા પંજીકૃત એવં માત્રાત્મક પ્રાપ્ત રાજ્યનીસિક દલોની કો ચુનાવ-મિન્હ કે આવદન, આરક્ષણ ઔર સોસિફિકેશન કે સંબંધ મેં નિર્દેશ જારી કિયે જાયે।

૨—આ સંવિધાન કે અનુચ્છેદ ૨૪૩-ટ તથા અનુચ્છેદ ૨૪૩-યક ઔર ઉનાને તાહુસ બતે અધિનિયમોની કે અન્તર્ગત પ્રદત્ત શવિત્રાઓની કો પ્રયોગ કરતે હુએ રાજ્ય નિવાચન આયોગ, ઉત્તરાંચલ એતદ્વારા આદેશ દેતા હૈ કે—

- (૧) યાદેશ રાજ્યનીસિક દલોની કો પંજીકરણ એવં નિવાચન પ્રતીક (આરક્ષણ એવં આવદન) આદેશ, ૨૦૦૧ કહે જાયેને।
- (૨) યાદેશ સાધ્યું ઉત્તરાંચલ કો નાગર સ્થાનીય નિકાયોની કો નિવાચનોની મેં લાગુ હોયે।
- (૩) યાદેશ શાસકીય ગણરાજ્ય મેં પ્રકાશિત હોને કો દિનાંક સે પ્રમાણી હોયે।

૩—રાજ્યનીસિક દલોની / સંઘોની / નિકાયોની કો પંજીકરણ કો લિએ યાદેશ આયરણક હોયા કે—

- (ક) જો રાજ્યનીસિક દલોની / સંઘોની / નિકાયોની (એતદ્વારા વેં ઇકાઇયાની દલ કહે જાયેને) અપના પંજીકરણ કરણા ચાહે જાને ડર આદેશ કે પ્રાયધારાની કો અન્તર્ગત રાજ્ય નિવાચન આયોગ, ઉત્તરાંચલ

के यथा अपना पंजीकरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मविष्य में होने वाले निम्नी भी नियोजन में दल के रूप में भाग लेने के लिए यह अवश्यक होगा कि पंजीकरण हेतु दल का आवेदन—पत्र राज्य नियोजन आयोग को आगामी नियोजन की अधिसूचना के दिनांक से कम से कम 45 दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया हो अन्यथा उस आवेदन—पत्र पर प्रस्तुत नियोजन के उपरान्त ही विचार करना सम्भव होगा।

(v) यदि आवेदक राजनीतिक दल है तो आवेदन—पत्र उसके अव्याप्त उसके द्वारा अधिकृत किसी पार्टीसिक्ती द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा आवेदन—पत्र यज्य नियोजन आयोग उचितायत को आवेदक द्वारा रखने अथवा पंजीकृत द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यदि उचितायत को आवेदक द्वारा रखने अथवा पंजीकृत द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यदि उचितायत राज्य आयोग नियोजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसे वह रखने उपरिषत् होकर अथवा या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। पंजीकृत आक के गाल्यां से राज्य नियोजन आयोग उत्तरांचल को प्रस्तुत करेगा।

4. ऐसे प्रत्येक आवेदन में विस्तृतिवत् विवरण अनिवार्य होंगे :-

- (i) राजनीतिक दल के नाम तथा रजिस्ट्रेशन संख्या, यदि कोई हो।
- (ii) पार्टी-नामहार हेतु पूरा नाम।
- (iii) राजनीतिक दल के अध्यक्ष/सचिव/को-प्रधान एवं अन्य गदाधिकारियों के नाम व पठे।
- (iv) अपने गदरस्यों की संख्या और यदि गदरस्यों की विभिन्नता हो तो विभिन्न गदरस्यों की संख्या।
- (v) यदि इसकी कोई उपाधी इकाई हो तो उसका नाम व पठा जाए।
- (vi) यदि राज्य के विभिन्न प्रान्तों अध्यक्ष संसद में इसका प्रतिनिधित्व हो तो ऐसे गदरस्य/भद्रस्यों की संख्या एवं नाम रहित विवरण।
- (vii) नायर विकास/पश्चात्यांतों के नियंत्रण योगान्य विभागों, विधान सभा अध्यक्ष लोक सभा के विभिन्न आम संसाधन में दल द्वारा प्राप्त भूमि के कुल वैध भूमि का परिवर्तन या प्रमाण रहित घटाया जाए।
- (viii) प्रस्ताव-३ के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन—पत्र के साथ अपने दल के विभिन्न विषयों, उपनियोगों एवं ज्ञान की प्रतिक्रिया ग्रन्तियां की जारी भी और ऐसे विभिन्न विषय, उपनियोग एवं ज्ञान में इसका विशेष तीरं पर उल्लेख होना चाहिये कि यह दल गारंता या राजिमान के प्रति गारंती अद्वा एवं विद्या उसका है तथा दल गारंता का राजिमान वैराघ्यपूर्ण समर्जनाद, घर्मिनिरोधका व दोषकरन के विकासने में पूर्ण आर्था रखता है और भारत की भाष्पमुता, एकता व अखण्डता को अशुद्ध रखने के लिए प्रतिक्रिया द्वारा रखेगा।
- (ix) आवेदन—पत्र के साथ दल के राजनीतिक विद्वानों, जिनपर दल आमारित है, और अपने लकड़ी, नदरेश्य तथा नीतियां, जिनका पालन दल द्वारा किया जाता है अथवा किया जाना है व अपनी तारी—कलाप तथा कार्यक्रम जो अपने राजनीतिक विद्वानों, नीतियों, नदरेश्य तथा लकड़ी की परिवर्तने के लिए वित्तीय जा रहे हैं या वित्तीय जाने हैं, का विस्तृत विवरण भी संलग्न किया जाए।
- (x) दल के पूर्ण ज्ञान भूमि (जाहे यह विधि नाम से जाना जाता हो या ने जाने जाते हो) एवं उसके कारी—कलाप और तरलों/उनके अध्ययन वन नाम (जिसे निम्नी नाम से यह जाना जाता हो) विधि विद्याधिकारियों/गदरस्यों का विस्तृत विवरण।
- (xi) दल के लकड़ों के विभिन्न शास्त्रोदारण का प्रयाण—पत्र भी आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किया जाए।
- (xii) आयोग अनुबंधित दल से उम्मी भी प्रकार के विवरण, जिसे आवश्यक समझे, जो भाग कर सकता है।

5. (i) प्रत्येक यामी विवरण, जो आयोग को उपलब्ध कराये गये हो तथा अन्य सभी तथ्यों पर विवार नहीं भी दल के प्रतिनिधियों को सुनावाई का अनुसार प्रदान करने के पश्चात् आयोग यह अनिवार्यता करेगा कि दल को प्रतीकर किया जावे अस्तु नहीं। आयोग अपने विविश्वाय से दल को यथा राम्य अवगत करावेगा।

(ख) पंजीकरण के लिए वह आवश्यक होगा कि दल द्वारा आन्तरिक संचालन और/अथवा बाह्य नियंत्रण हेतु बनाये गये नियम, उपनियम, उपवन्ध व ज्ञाप इस आदेश के प्रस्तर-५ के खण्ड (इ) के प्रावधानों के अनुरूप हो।

(ग) आयोग का निर्वाचन प्रतीक आवर्टन पर विनिश्चय/नियंत्रण अन्तिम होगा।

✓ (घ) पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपया होगा, जो छिंगाड़ ड्रापट द्वारा सज्ज निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तरांचल, देहरादून को देय होगा।

6-राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक दल के रूप में उपरोक्तानुसार पंजीकरण के उपरान्त अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारियों उनके पते तथा अन्य सहत्यापूर्ण विवरण व तथ्यों में परिवर्तन के बारे में आयोग को भी जास्तीच शृंखित किया जायेगा।

7-प्रत्येक निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को इन आदेशों के अनुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन होते ही लड़ने वाले प्रत्याशियों को अलग-गलतग निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

8-निर्वाचन प्रतीक दो प्रकार के होंगे—

(क) आरक्षित प्रतीक :—आरक्षित प्रतीक किसी मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशी को ही आवंटित किया जायेगा।

(ख) गुरुता प्रतीक :—ये वे प्रतीक हैं जो आरक्षित नहीं हैं और इन्हें अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, सामग्रिक पंजीकृत दल तथा निर्दलीय चम्पीदवारों को आयोग द्वारा निर्दशानुसार आवंटित किये जायेंगे।

9-राजनीतिक दलों का वर्गीकरण :—इस आदेश तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्तर्गत उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दल तीन प्रकार के होंगे—

(१) मान्यता प्राप्त दल :—ऐसे दल जिन्होंने उत्तरांचल के पंचायत अथवा नामर निकायों अथवा लोक समा/विधान सभा के लिए सम्पन्न हुए विगत सामान्य निर्वाचन (प्रत्यक्ष गतदान) में पड़े तैयार गतों की कुल रांख्य के कम से कम पांच प्रतिशत मत प्राप्त किये हों, पंजीकरण के उपरान्त मान्यता हेतु अर्ह होंगे।

(२) अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल :—ऐसे दल जिन्होंने उत्तरांचल के पंचायतों/नामर निकायों अथवा लोक समा/विधान सभा के विगत सामान्य निर्वाचन में विधिमान्य कुल पतों के कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किये हों, पंजीकरण उपरान्त अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के लिए अर्ह होंगे।

(३) तात्कालिक या अनन्तिम रूप से सामग्रिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दल :—ऐसे दल जिन्हें पात्र पाये जाने पर (सामग्रिक) तौर पर पंजीकृत किया गया है।

10-दलों के पंजीकृत करने और/अथवा मान्यता जारी रखने हेतु आवश्यक शर्त :—

(क) प्रतिवन्ध यह है कि प्रस्तर-१ (१) एवं १ (२) के अन्तर्गत दल द्वारा प्राप्त वैध गतों की नियांरित रीता में परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसे दल का वर्गीकरण भी तदनुसार परिवर्तनीय होगा परन्तु यह नियंत्रण आयोग द्वारा सम्बन्धित दल को स्पष्टीकरण का गवसर देकर लिया जायेगा। यदि नियांरित रीता के अन्दर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग में उपलब्ध अभिलेखों तथा प्राप्त गूचना के आधार पर नियंत्रण द्वारा ले लिया जायेगा, जिसके आधार पर पत्राकली अभिलिखित होंगी। दल के वर्गीकरण में यह पुनर्निर्धारण पांच वर्ष की अवधि से पूर्व न होगा।

(ख) दल द्वारा पंजीकरण आवेदन के साथ प्रस्तुत अपने दल के संविधान के सभी प्रावधानों का सामान्यता और निर्वाचन सम्बन्धित विधान का विशेषता अनुपालन यथा नियांरित समय के अनुसार अवश्य किया गया हो अन्यथा आयोग द्वारा सम्बन्धित दल को स्पष्टीकरण का गवसर देते हुए ऐसे दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

- (ii) दल हारा अपने लेखों की वार्षिक सम्पेक्षा रिपोर्ट आयोग को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। अन्यथा पंजीकरण पर मुनरितार लिया जा सकता है।
- (iii) दल हारा प्रति वर्ष आगामी विभाग से अदेशता प्रमाण-पत्र राज्य निवाचन आयोग को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा न करने से सम्बिधान दल की मान्यता/पंजीकरण रद्द करने का अधिकार राज्य निवाचन आयोग का होगा।

11. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन —

- (क) आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के आरक्षित प्रतीकों की सूची जारी की जायेगी।
- (ख) यह के लिये भी नामर लियाय के लिये भी प्रारक्षिक निवाचन दोत्र के निवाचन में किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हारा खड़े किये गये उम्मीदवारों द्वारा उस दल हेतु आरक्षित प्रतीक न कि कोई अन्य प्रतीक तूना जायेगा तथा वही चरों आवंटित किया जायेगा।
- (ग) किसी प्रारक्षिक निवाचन दोत्र के निवाचन के लिए आरक्षित प्रतीकों को लिये गये प्रत्यारूपी को आवंटित नहीं किया जायेगा जो उस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हारा, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आवंटित किया गया है, खड़े किये गये प्रत्यारूपी से भिन्न हो, तरे से उस निवाचन दोत्र में ऐसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हारा कोई भी प्रत्यारूपी खड़ा न किया गया हो।
- (घ) यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार किसी नामर लियाय निवाचन में उस दल के लिए आरक्षित किये गये निवाचन प्रतीक का चयन करता है तो ऐसे प्रत्यारूपी को, किसी अन्य प्रत्यारूपी को छोड़ते हुए वह प्रतीक न कि कोई अन्य प्रतीक आवंटित किया जायेगा, अधीत उस दल ने उसने हारा खड़े किये गये उम्मीदवार को वह प्रतीक अन्य रूप से आवंटित करने हेतु आयोग हारा निवाचित रूप-पत्र पर दस के प्राधिकृत पदाधिकारी हारा निवाचित निवाचन अधिकारी को ऐसे निवाचन में उम्मीदवारों की तिथि के निवाचित समय तक आवेदन दे दिया हो अन्यथा आवंटित प्रतीक का आवंटन नहीं किया जायेगा।
- (इ) मान्यता प्राप्त दल को आवंटित निवाचन प्रतीक भविष्यत गे भी निवाचनों के लिए आरक्षित किया जायेगा। जब तक वह दल निवाचित अथवा लियाजित नहीं हो जाता है या उसकी मान्यता रहेंगी, जब तक वह दल निवाचित अथवा लियाजित नहीं हो जाती है या उसकी मान्यता रही हो तो उस दल की वरीयता के रूप का आधार उसके हारा निवाचन में राज्य सत्र पर प्राप्त वैध मर्तों का प्रतिशत ही होगा।

- (ख) ऐसे दल हारा मांग गया प्रतीक उस दल के उम्मीदवार को आवंटित किया जायेगा परन्तु राज्य नामर लियाय तुम्हारों गे मांग लेने के इच्छुक ऐसे दल यदि अनारक्षित प्रतीकों मे रो कोई प्रतीक चुनाव तुम्हारे लड़ना चाहते हैं तो उन्हें राज्य पर गे यह चुनिया प्रदान करने पर निवाच लिया जा सकता है। यदि ऐसे दो या दो ये अधिक दल अनारक्षित प्रतीकों मे रो किसी एक विशेष प्रतीक के आवंटन हेतु अपनी इच्छा चक्रता है तो उस दल की वरीयता के रूप का आधार उसके हारा निवाचन में राज्य सत्र पर प्राप्त वैध मर्तों का प्रतिशत ही होगा।
- (ग) ऐसे दल हारा मांग गया प्रतीक उस दल के उम्मीदवार को आवंटित किया जायेगा परन्तु उम्मीदवार को आवंटन हेतु आवेदन उस दल के प्राधिकृत पदाधिकारी हारा सम्बिधान निवाचन अधिकारी को उम्मीदवारों की तिथि के निवाचित समय तक प्राप्त होना आवश्यक होगा अन्यथा प्रतीक अनारक्षित मान लिया जायेगा और यह प्रतीक अन्य उम्मीदवारों में निवाचित प्रक्रिया अनुसार आवंटित किया जा सकता है।

12—अनन्तिम/तात्कालिक रूप से रामिक पंजीकृत दल के उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन की विविधता —

- (क) तात्कालिक/अनन्तिम रूप से रामिक पंजीकृत दल हेतु कोई प्रतीक आयोग हारा आवंटित अथवा आवंटित नहीं किया जायेगा।
- (ख) दल के प्राधिकृत उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त दल के लिये आरक्षित प्रतीक तथा अन्यता

- पापत पंजीकृत दल के उम्मीदवार को आवंटित अनारक्षित प्रतीक को छोड़कर अन्य कोई पर्तीक जैसा कि ऐसे दल ने उम्मीदवार ने चाहा है, आवंटित किया जा सकता है।
- (ग) यदि दो या दो से अधिक ऐसे दलों द्वारा किसी निवाचन में एक ही प्रतीक की मांग वी गयी है तो आवंटन के कम में उस दल को प्रतीक आवंटन में वरीयता दी जायेगी जो तात्कालिक अनन्तिय रूप से सामग्रिक पंजीकृत दल की सूची के क्रम में अंकित हो।
- (घ) अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों तथा तात्कालिक अनन्तिय रूप से सामग्रिक पंजीकृत दलों को इस प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रदत्त निवाचन प्रतीक आवंटन की सुविधा भविष्य में होने वाले निवाचनों के लिए तब तक सपलब्ध रहेगी जब तक उनका पंजीकरण राज्य निवाचन आयोग द्वारा अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता है।

14-(क) निर्दलीय प्रत्याशियों को गुप्त निवाचन प्रतीकों में से उनके आवेदनों में दिये वरीयता क्रम के अनुसार प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

(ख) यदि निवाचन प्रतीकों को वरीयता क्रम में दो या दो से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी प्रथम रक्षान पर एक ही निवाचन प्रतीक दर्शाते हैं तो उनके बीच लाटरी की रीति से निवाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा। जिस प्रत्याशी के नाम वी लाटरी खुले उसे ही वह निवाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

(ग) यदि निवाचन प्रतीकों की वरीयता क्रम में दो या दो से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी द्वितीय अंथगा आगे के रक्षान के लिये एक ही निवाचन प्रतीक देते हों तो उनके बीच लाटरी की उपरोक्त खण्ड (ख) में गणित रीति से निवाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

15—किसी प्रत्याशी को निम्नलिखित शर्तों पर ही किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया गाना जायेगा :

इन आदेशों के प्रयोगन के लिए कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया गाना और केवल तभी समझा जायेगा जब—

- (क) उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा गपने नाम-निर्देशन पत्र में कर दी हो।
- (ख) इस आशय की लिखित रूचना राम्भित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उम्मीदवारी की निर्धारित तारीख एवं समय से पूर्व राम्भित निवाचन अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो।
- (ग) उक्त रूचना दल के अध्यक्ष अंथगा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निवाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित हो।
- (घ) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्रादेशिक निवाचन होते के सम्बन्धित निवाचन अधिकारी और राम्भित जिला निवाचन अधिकारी को उम्मीदवारी की तारीख एवं समय तक निर्धारित रूप-पत्र/प्रपत्र में सूचित किये जायेंगे।

16—किसी गान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अन्य समूहों या प्रतिहृन्दी गुटों के सम्बन्ध में आयोग की शर्त—

जब अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी गान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के ऐसे प्रतिहृन्दी गुट अंथवा समूह हैं जिनमें से हर एक वह दल होने का दावा करता है, तब आयोग इस मामले के समस्त उपलब्ध तथेयों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा उन समूहों या गुटों के ऐसे प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो गुनवाई चाहें, उन्हें जाने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि ऐसे प्रतिहृन्दी गुट या समूह में ऐसा कौन सा गुट अंथवा समूह यह राजनीतिक दल है या कोई भी वह राजनीतिक दल नहीं है। आयोग का निनिश्चय ऐसी सभी प्रतिहृन्दी गुटों अंथवा समूहों पर वाच्यकारी होगा।

17—दो या अधिक राजनीतिक दलों का विलयन (गर्जर) हो जाने की दशा ने आयोग की शक्ति—

- (क) जब दो या अधिक राजनीतिक दल, जिनमें से कोई एक गान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो

अथवा कुछ या रामी गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दल वनाने के लिए परस्पर मिल जाते हैं तथा आयोग इस गामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा नये बने दल के ऐसे प्रतिनिधि व अन्य व्यक्तियों को जो सुनवाई चाहें, गुनने के पश्चात् तथा इन आदेशों के प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय कर सकेगा कि :-

- (1) ऐसा नया बना दल गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दल होना चाहिए।
- (2) उसे कोन सा प्रतीक आवटित किया जाये।
- (3) उप प्रस्तर-1 के अधीन किया गया आयोग नन विनिश्चय उस नये बने राजनीतिक दल तथा उसकी रामी घटक इकाइयों के लिए चाह्यकारी होगा।

18—राजनीतिक दल तथा प्रतीक की सूचियों को अन्तर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना :-

- (1) राज्य निवाचन आयोग एक या अधिक अधिसूचना के हारा उत्तरांचल के सरकारी राजपत्र में :-
- (क) गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों, तथा
- (ख) गे२—गान्धीता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों आदि के लिए मुक्त प्रतीकों को आवटित करने हेतु निर्देश प्रकाशित करेगा।
- (ग) ऐसी हर एक सूची यथा सम्बन्ध अद्यतन रखी जायेगी।

19—अनुदेश प्रवृत्त करने की आयोग की शक्तियाँ :-

राज्य निवाचन आयोग, उत्तरांचल :-

- (क) इन आदेशों के उपबन्धों में से किसी का रपटीकरण करने के लिए;
- (ख) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो किन्हीं ऐसे उपबन्धों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक हों, तथा
- (ग) राजनीतिक दलों के पंजीकरण तथा प्रतीकों के आरक्षण व आवटन के किसी गामले में तथा राजनीतिक दलों की मान्यता के संबंध में, जिसके लिए इन आदेशों में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है तथा जिसके लिए निवाचन तथा व्यवस्थित रांचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निर्देश प्रवृत्त कर सकेगा।

दुर्गेश जोशी,  
राज्य निवाचन आयुक्त।